

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-गुप-2) विभाग

सं. एफ. 5(1)डीओपी/ए-II/18 पार्ट.

जयपुर, दिनांक: 9.9.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, मृत रक्षा कार्मिक (युद्ध हताहत) के आश्रितों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक (शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022 है।

(2) ये नियम मृत सशस्त्र बल कार्मिक (शहीद), जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, के आश्रितों पर लागू होंगे।

(3) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **विस्तार.**- राज्य की विभिन्न सेवाओं में के या इसमें इसके पश्चात् बनाये गये नियमों में के व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 15.08.1947 से 31.12.1971 तक की कालावधि के दौरान किसी मृत सशस्त्र बल कार्मिक (युद्ध हताहत), तथा जो राज्य का मूल निवासी था, का आश्रित विभिन्न सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ये किसी विशिष्ट पद पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेंगे।

3. **परिभाषाएं.**- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इन नियमों में,-

(i) “नियुक्ति प्राधिकारी” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें, ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं;

✓

- (ii) "सशस्त्र बल कार्मिक" से संघ की सेना, नौसेना और वायु सेना का कार्मिक अभिप्रेत है;
- (iii) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (iv) "आश्रित" से अभिप्रेत है,-
- (क) पति/ पत्नी, या
 - (ख) पुत्र/दत्तक पुत्र, या
 - (ग) पुत्री/दत्तक पुत्री, या
 - (घ) पौत्र/दत्तक पौत्र, या
 - (ङ) पौत्री/दत्तक पौत्री, या
 - (च) पुत्री का पुत्र/ दत्तक पुत्री का पुत्र, या
 - (छ) पुत्री की पुत्री/ दत्तक पुत्री की पुत्री, या
 - (ज) अविवाहित मृत सशस्त्र बल कार्मिक के मामले में, भाई या बहिन/भाई का पुत्र/ भाई की पुत्री, बहिन का पुत्र/ बहिन की पुत्री।
- टिप्पण:** दत्तक से हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/की गयी पुत्री अभिप्रेत है। हिंदू धर्म से भिन्न के कार्मिक के आश्रितों के लिए, मामला कार्मिक (क-2) विभाग को आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (v) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (vi) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और
- (vii) "मूल निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र रखता हो।

4. नियुक्ति का कतिपय शर्तों के अध्यधीन होना.- कोई सशस्त्र बल कार्मिक (सेना, नौसेना, वायु सेना) जिसकी, सेवा में रहते हुए 15.08.1947 से 31.12.1971 तक की कालावधि के दौरान, युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई और जवाबी आतंकवादी संक्रियाओं सहित किसी रक्षा संक्रिया में मृत्यु हो गयी है और जिसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के प्राधिकृत कार्यालय द्वारा युद्ध हताहत घोषित किया गया है, ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक के

✓

आश्रितों में से किसी एक की सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

5. पदों का चयन.- मृतक की रैंक और प्रास्थिति का विचार किये बिना, वेतन मैट्रिक्स में लेवल एल-10 तक के और अधीनस्थ सेवाओं, लिपिकवर्गीय सेवाओं या, यथास्थिति, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु आशयित किसी पद पर आश्रित की नियुक्ति के लिए, उसकी शैक्षिक अर्हता और सेवा की अन्य शर्तों को पूर्ण किए जाने के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

(2) इन नियमों के अधीन यदि एक बार किसी पद पर कोई नियुक्ति हो जाती है तो इन नियमों के अधीन आशयित फायदा उपभुक्त किया हुआ समझा जायेगा और मामला किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः खोला नहीं जायेगा।

6. अर्हताएं.- (1) आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए।

(2) नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के दौरान किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं आवश्यक होंगी।

(3) आश्रित की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा आश्रित उसके चरित्र, शारीरिक उपयुक्तता और संबंधित सेवा नियमों में विहित अन्य साधारण शर्तों को पूर्ण करने के संबंध में सरकारी सेवा के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

7. आयु.- आश्रितों को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर-भीतर होना चाहिए:

परंतु आयु की गणना हेतु निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी। किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में लगाया गया समय आश्रित को, यदि उस कालावधि के दौरान वह अधिक आयु का हो गया/गयी हो, निरहित नहीं करेगा।

8. वरीयता क्रम.- इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा:-

- (i) यदि शहीद (सशस्त्र बलों का शहीद) की विधवा जीवित है तो विधवा द्वारा नामनिर्दिष्ट, नियम 3 के खंड (iv) में यथा परिभाषित आश्रितों में से कोई भी एक;
- (ii) यदि शहीद (सशस्त्र बलों का शहीद) की विधवा जीवित नहीं है तो पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री और यदि पुत्र/दत्तक पुत्र तथा पुत्री/दत्तक पुत्री पात्र नहीं हों तो शहीद (शहीद) के माता-पिता द्वारा नामनिर्दिष्ट नियम 3 के खंड (iv) में यथा परिभाषित आश्रितों में से एक और यदि शहीद (शहीद) के माता-पिता जीवित नहीं हों, तो आयु की वरिष्ठता के अनुसार शहीद (शहीद) से ज्येष्ठतम आश्रित द्वारा नामनिर्दिष्ट, नियम 3 के खंड (iv) में यथा परिभाषित आश्रितों में से एक;
- (iii) यदि शहीद (मृत सशस्त्र बल कार्मिक) अविवाहित था, तो माता-पिता द्वारा नामनिर्दिष्ट, नियम 3 के खंड (iv) के उप-खंड (ज) में यथाविनिर्दिष्ट कोई आश्रित, यदि माता-पिता जीवित नहीं हों तो, आयु की वरिष्ठता के अनुसार शहीद का ज्येष्ठतम भाई/बहिन और यदि भाई या बहिन पात्र नहीं हो तो, आयु की वरिष्ठता के अनुसार भाई का पुत्र/भाई की पुत्री या बहिन का पुत्र/बहिन की पुत्री।

9. प्रक्रियात्मक अपेक्षा आदि.- चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा, जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कंप्यूटर पर टंकण हेतु प्रारंभिक नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, स्थायीकरण के लिए नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर आश्रितों से ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कंप्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जिसमें असफल रहने पर, उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायी होगी। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञेय नहीं होंगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता/लेती है। ऐसी अर्हताएं अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप में वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञेय होंगी किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

टिप्पण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना/परिपत्र के अधीन सशक्त समिति द्वारा ऐसा परीक्षण संचालित किया जायेगा।

10. प्रक्रिया.- (1) मृत सशस्त्र बल कार्मिक के आश्रितों में से किसी एक के द्वारा उपर्युक्त नियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट वरीयता क्रम में आवेदन किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक, शहीद (सशस्त्र बलों का शहीद) का पुत्र/पुत्री है, तो वह नियुक्ति के लिए सशस्त्र बल मुख्यालय, जिससे मृत (शहीद) मृत्यु के समय संबंधित था, के सक्षम अभिहित कार्यालय द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक पुत्र/पुत्री से भिन्न कोई आश्रित है तो वह उप-खंड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा जारी किये गये आश्रित प्रमाणपत्र ('वारिस' प्रमाणपत्र) के साथ नियुक्ति के लिए आवेदन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदन में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:-

(क) मृत (युद्ध हताहत) सशस्त्र बल कार्मिक का नाम और पदनाम;

(ख) यूनिट जिसमें वह मृत्यु से पूर्व सेवारत था/थी; और

(ग) सशस्त्र बलों से संबंधित सक्षम कार्यालय द्वारा जारी किया गया युद्ध हताहत प्रमाणपत्र।

(4) ऐसे आश्रित का आवेदन, आवेदक द्वारा धारित अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति के उपलब्ध न होने की दशा में, आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो उसकी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) यदि आवेदक की अर्हता के अनुसार उपयुक्त पद की रिक्ति उपलब्ध न हो तो संबंधित विभाग या प्राधिकारी मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्मिक (क-2) विभाग को अग्रेषित करेगा।

11. निरसन और व्यावृत्ति.- राजस्थान मृत रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित तथा इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त, समस्त आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:


परंतु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

12. **नोडल विभाग.-** सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के परामर्श से, कार्मिक विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के प्रयोजन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश, जो वह इन नियमों के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, कर सकेगा।

13. **शंकाओं का निराकरण.-** यदि इन नियमों के लागू होने और विस्तार से संबंधित कोई भी शंका उत्पन्न हो तो उसे कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

14. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो ऐसी कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,



(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

52/2022